N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0134 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/07/2024 17:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 04/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:15 बजे **Time To (समय तक):** 16:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/07/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/07/2024 17:16:33 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 130 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE CHOKI NAKA MADAR, POLICE STATION ALWAR GATE, AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** LAXMIKANT SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHIVDUTT SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1972 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	1482/41, 3rd Row, BIHARI GANJ, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	1482/41, 3rd Row, BIHARI GANJ, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NAND BHNWAR SINGH		पिता:UMMED SINGH	1. PRATAP NAGER LOHAKHAN,AJMER,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 27.06.2024 को अति0 पुलिस अधीक्षक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग भ्र नि ब्यूरो जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री शिवदत्त शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 1482/41,3rd गली, बिहारी गंज, अजमेर से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी, एसआईडब्ल्यू, जयपुर को सम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व इस पर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "मैं लक्ष्मीकान्त शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री शिवदत्त शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 1482/41, 3तक गली, बिहारी गंज, अजमेर का रहने वाला हुँ। मैंने पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर में एक मुकदमा नम्बर 144/24 दिनांक 20.04.2024 को धारा 420, 406 आईपीसी में दर्ज करवाया था। जिसकी जांच श्री नन्द भंवर सिंह ए.एस.आई. द्वारा की जा रही है। श्री नन्द भंवर सिंह ए.एस.आई द्वारा मेरे मुकदमें में प्रभावी कार्यवाही करने व मुकदमें में धारा जोडने के लिए मुझसे 1 लाख रूपये की डिमांड करी थी जिसमें से 50,000/-रूपये मैं चार-पांच दिन पहले दे चुका हूं। अभी मुझसे 50,000 स्वयं श्री श्याम सिंह चारण सीआई साहब के नाम से मांग रहा है। मैं नन्द भंवर सिंह एएसआई को रिश्वत के 50,000/- रूपये नहीं देना चाहता हँू मेरी नन्दभवंर ए.एस.आई से कोई पुरानी रंजिश नहीं है ना ही मेरा कोई पुराना लेन देन बाकी है। मैं नन्द भंवर सिंह ए.एस.आई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हँू। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजिद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय के श्री उदयपाल सिंह कानि. 550 का परिवादी से आपस में परिचय करवाकर उन्हें कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर व नया मैमोरी कार्ड उपलब्ध करवाया गया तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री उदयपाल सिंह कानि. को सुपूर्द किया जाकर उसे कल दिनांक 28.06.2024 को अजमेर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 28.06.2024 को दोपहर 12.30 बजे श्री उदयपाल सिंह कानि. 550 को आवश्यक हिदायत दी जाकर डिजीटल वाईस रिकार्ॅर्डर सहित गोपनीय मांग सत्यापन हेतु अजमेर के लिए रवाना किया गया। सायं 5.54 बजे श्री उदयपाल कानि. 550 ने जरिए मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि मैं जयपुर से रवाना होकर अजमेर पहुंचा, जहां रेल्वे स्टेशन के बाहर परिवादी मुझे मिला, मैंने परिवादी से संदिग्ध आरोपी को फोन करवाया तो संदिग्ध आरोपी ने कहा कि मैं आज व्यस्त हूँ, आप कल आना, जिस पर श्री उदयपाल सिंह कानि व परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात दिनांक 29.06.2024 को दोपहर 2.15 बजे श्री उदयपाल सिंह कानि. ने जरिये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि आज मैंने परिवादी की संदिग्ध अधिकारी से जरिये मोबाईल वार्ता करवाई तो संदिग्ध आरोपी ने बताया कि वह अलवर गेट थाने की चौकी पर है, जिस पर मैं और परिवादी दोनो रवाना होकर अलवर गेट थाने की चौकी के पीछे पहुंचे। तत्पश्चात मैंने डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड को चालू कर परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया। परिवादी कुछ समय पश्चात मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपूर्द किया। मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। फिर परिवादी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी द्वारा मेरे मुकदमा नम्बर 144/24 में प्रभावी कार्यवाही करने व मुकदमें में धारा जोडने के लिए मुझसे 50,000/-रूपये की मांग की है। मेरे और संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री लक्ष्मीकांत से वार्ता की तो परिवादी द्वारा श्री उदयपाल सिंह कानि. की बातों की ताईद की। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी और श्री उदयपाल कानि. को आवश्यक हिदायत देते हुऐ कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश दिये गये, जिस पर परिवादी श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा ने आवश्यक निजी कार्य होने से कार्यालय में उपस्थित आने में असर्मथता जाहिर की और दिनांक 01.07.2024 को कार्यालय में आने के लिए बताया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 01.07.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत

की गई तथा श्री उदयपाल सिंह कानि. को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित लेकर कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात रात्रि 9.00 बजे श्री उदयपाल सिंह कानि. नें कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश करते हुए पूर्व में बताये गये तथ्यों को दोहराते हुऐ अवगत करवाया कि मैने दिनांक 29.06.2024 को प्रातः परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर लोढा धर्मशाला आने के लिए कहा तो परिवादी समय करीबन 11.30 ए.एम. पर उक्त धर्मशाला में आ गया। फिर मैंने परिवादी की संदिग्ध आरोपी से जरिये मोबाईल वार्ता करवाई तो संदिग्ध आरोपी ने बताया कि वह अलवर गेट थाने की चौकी पर है, जिस पर मैं और परिवादी दोनो उक्त धर्मशाला से रवाना हो अलवर गेट थाने की चौकी के पीछे पहुंचे। तत्पश्चात मैंने डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड को चालू कर परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा को सुपूर्द कर संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया। परिवादी कुछ समय पश्चात मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपूर्द किया। मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात मैं परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर निर्देषानुसार वहां से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आया हुँ। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड परिवादी और संदिग्ध आरोपी की वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सरसरी तौर पर सुना गया तो रिकार्ड वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करना सत्यापित हुआ। मन पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मेरी कार्यालय आलमारी में रखा। दिनांक 01.07.2024 को प्रातः 11.10 एएम पर परिवादी कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में पूछने पर परिवादी ने श्री उदयपाल सिंह कानि द्वारा बताये गये तथ्यों को हूबहू दोहराया। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री अनिल कुमार गौतम सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर-प्रथम, जयपुर व श्री पुष्पेन्द्र जाटव कनिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर-प्रथम, जयपुर कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही बाबत अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति दी। प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.06.2024 को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया एवं परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा उक्त वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्डशुदा वार्ता की चार सीडियां तैयार की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर तीन सीडियों को सील्ड मोहर किया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त वार्ता रिकॉर्ड है उक्त मैमोरी कार्ड को भी सील्ड मोहर किया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। उसके बाद मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को, संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के लिए कहा तो परिवादी ने अवगत करवाया कि आज मेरे पास रूपये की व्यवस्था नहीं है, जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। उसके बाद दिनांक 03.07.2024 को सांय 5.15 बजे परिवादी श्री लक्ष्मीकांत ने जरिये फोन मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मेरे पास रिश्वत राशि का इन्तजाम हो गया है तथा संदिग्ध आरोपी ने मुझे कल दिनांक 04.07.2024 को उसके पास बुलाया है, जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि सहित कल दिनांक 04.07.2024 को प्रातः 10.30 बजे अजमेर से पहले होटल मकराना राज के पास उपस्थित मिलने व मोबाईल फोन चालू रखने एवं अन्य आवश्यक हिदायत की गई तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय स्टाफ को भी दिनांक 04.07.2024 को प्रातः 07.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 04.07.2024 को प्रातः 8.00 बजे मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही दो सरकारी वाहनों से कार्यालय से रवाना होकर प्रातः 11.00 बजे गगवाना अजमेर स्थित होटल मकराना राज पहुंची, वहां परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा उपस्थित मिले। तत्पश्चात प्रातः 11.10 बजे मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा को संदिग्ध आरोपी श्री नन्द भंवर सिंह, ए.एस.आई. को रिश्वत में दी जाने वाली राषि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपने पास से एक सफेद रंग के लिफाफे में 500-500 रूपये के 100 भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 50,000/-रूपये निकाल कर गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, उक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उसके बाद उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 50,000/-रूपये व सफेद रंग के फिफाफे पर फिनोफ्थीलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री विक्रम सिंह हैड कानि. 63 से हमराह दूसरी गाडी के डेसबोर्ड से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थीलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों व लिफाफे पर लगवाया गया एवं नोटों को वापिस उक्त सफेद रंग के लिफाफे में रखवाया गया तथा परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री अनिल कुमार गौतम सहायक प्रोग्रामर से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 50,000/-रू0 के नोट लिफाफे सहित सीधे ही श्री

विक्रम सिंह हैड कानि. नं. 63 से परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा की पहनी हुई पेन्ट की आगे वाली दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छूवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखे व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक नये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री विक्रम सिंह हैड कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री विक्रम सिंह हैड कानि. से हमराह दूसरी गाडी के डेसबोर्ड में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार एवं गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री विक्रम सिंह हैड कानि. के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री विक्रम सिंह हैड कानि. को होटल पर ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री उदयपाल सिंह कानि. 550 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दोपहर 2.00 बजे मन पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, दोनो स्वतंत्र गवाहान मय स्टाफ मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित होटल मकराना पैलेस से रवाना होकर पुलिस चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर के पास पहुंची, जहां परिवादी ने अवगत करवाया कि अभी मैने गोपनीय रूप से मालूमात किया तो पता चला है कि संदिग्ध आरोपी अभी चौकी पर उपस्थित नहीं है, इसलिए उसके चौकी पर आने तक इन्तजार करना होगा, जिसपर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पुलिस चौकी नाका मदार के पास गोपनीय रूप से मुकीम हुई। उसके बाद सांय 4.23 बजे परिवादी श्री लक्ष्मीकांत ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि संदिग्ध आरोपी पुलिस चौकी पर उपस्थित आ चुका है, मैंने अभी-अभी संदिग्ध आरोपी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो उसने मुझे पुलिस चौकी नाका मदार पर बुलाया है, सांय 4.40 बजे मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराह स्वतंत्र गवाहान व टीम को गाडी से नीचे उतरवाकर, चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया, श्री उदयपाल सिंह कानि. ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है। उसके बाद सांय 4.55 बजे परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने पुलिस चौकी नाका मदार, अजमेर के मेन गेट से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंची तो परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया, परिवादी ने साथ-साथ उक्त पुलिस चौकी में प्रवेश कर चौकी के भवन में मैन गेट के सामने बने हुए कमरे के पारदर्शी कांच के दरवाजे पर पहुंचकर उक्त कमरे में दायीं तरफ कुर्सी पर बैठे वर्दीधारी व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यह ही श्री नन्द भवंर सिंह, ए.एस.आई. है, जिन्होंने अभी अभी मुझसे मेरे मुकदमा नम्बर 144/24 में प्रभावी कार्यवाही करने व मुकदमें में धारा जोडने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 50,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे उक्त रूपये इनके सामने स्थित टेबिल की दाहिनी साईड की उपर वाली दराज में रखने के लिए कहा जिस पर मैने इनके कहेनुसार उक्त रूपये इनके सामने स्थित उक्त टेबिल की दाहिनी साईड की उपर वाली दराज में रखे हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व परिवादी को साथ लेकर उक्त कमरे में प्रवेश किया तथा स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र जाटव से उक्त टेबिल की दाहिनी साईड की उपर वाली दराज की तलाशी लिवाई गई तो उसमें परिवादी को पूर्व में सुपूर्द किया गया रिश्वत राशि का वही सफेद लिफाफा बरामद हुआ। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनांे स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने

घबराते हुए अपना नाम श्री नन्द भंवर सिंह, ए.एस.आई., पुलिस चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर होना बताया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी-अभी ये श्री लक्ष्मीकांत शर्मा मेरे पास आये थे, मैने इनसे कोई रूपये नहीं लिए हैं, उक्त रिश्वत राशि के लिफाफे के सम्बंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि मेरे मुकदमा नम्बर 144/24 में प्रभावी कार्यवाही करने व मुकदमें में धारा जोडने की एवज में यह श्री नन्द भंवर सिंह, ए.एस.आई., मेरे से एक लाख रूपये रिश्वत के रूप में मांग कर रहा था, जिसमें से 50 हजार रूपये मेरे से पहले ले चुका है, जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, इनकी मांग के अनुसार उक्त शेष 50,000 रूपये मैंने इनके मांगने पर आज इनको दिये हैं। इसके पश्चात श्री नन्द भंवर सिंह, ए.एस.आई., ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम श्री नन्द भंवर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उम्मेद सिंह, जाति राजपूत, उम्र 53 साल निवासी 217/51 प्रताप नगर लोहाखान अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, नाका मदार पुलिस चौकी, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर है। तत्पश्चात आरोपी श्री नन्द भंवर सिंह, ए.एस.आई. को तसल्ली देकर पूछा कि आपने दिनांक 29.06.2024 को परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा से 50,000/- रूपये मांगे थे, इस पर आरोपी श्री नन्द भंवर सिंह, ए.एस. आई., चुप हो गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में एक रूई के फोव्वे की मदद से उक्त टेबिल की दाहिनी साईड की उपर वाली दराज में जहां से रिश्वत राशि बरामदी हुई उक्त स्थान का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री नन्द भंवर सिंह, ए.एस. आई., को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क T-1 व T-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त रूई के फोव्वे को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर उक्त लिफाफे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सील्ड मोहर कर मार्क F अंकित किया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान से बरामदशुदा उक्त रिश्वत राशि के लिफाफे में से रिश्वत राशि निकलवाकर गिनवाया गया तो दोनों गवाहान ने जिनको गिनकर 500-500 रूपये के 100 भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 50,000 होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से बरामदशुदा उक्त सभी नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उन्ही नम्बरों के पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000/-रूपये होना पाया गया। बरामदशुदा उक्त पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000/-रूपये को एक सफेद कागज में रखकर सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि के उक्त लिफाफे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क L अंकित किया जाकर कपडे की थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। चूंकि परिवादी ने अवगत करवाया है कि आरोपी ने रिश्वत राशि उसके हाथ में नहीं पकडी बल्कि उसके सामने स्थित टेबिल की दराज में रखने हेतु कहा था, किन्तु परिवादी के वहां से बाहर आने के बाद आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को गिनने एवं सम्भालने की सम्भावना के मध्यनजर उसके दोनों हाथों के धोवन हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में आरोपी श्री नन्द भंवर ए.एस.आई. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गंदमैला हो गया, जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व आरोपी को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद एक दूसरे नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में आरोपी श्री नन्द भंवर ए.एस.आई. के बायें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गंदमैला हो गया, जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व आरोपी को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 की धारा 105 के प्रावधानों के तहत उक्त बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ व टेबिल की दराज धुलवाई की श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 287 से जरिये मोबाईल वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई, जिसकी सीडी बनवाने हेतु चार खाली सीडीयों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी-बारी लैपटॉप की सहायता से वीडियो रिकॉर्डिंग की चार अलग-अलग सीडियां तैयार की जाकर सही होना सुनिश्चित कर मार्का " VR-1", "VR-2", "VR-3" व "VR-4" अंकित किया गया। सीडी मार्का "VR-1" व "VR-2" को पृथक-पृथक सफेद कपडे़ की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्का-"VR-1" व "VR-2" अंकित कर सिलचिट चस्पा

कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा सीडी मार्का "VR-3" व "VR-4" (न्यायालय कॉपी) को खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई, उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री नन्द भंवर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उम्मेद सिंह, जाति राजपूत, उम्र 53 साल निवासी 217/51 प्रताप नगर लोहाखान अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, नाका मदार पुलिस चौकी, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व आरोपी श्री नन्द भंवर सहायक उप निरीक्षक के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 04.07.2024 को हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु चार खाली सीडीयां मंगवायी जाकर चारों सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी-बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की चार अलग-अलग सीडियां तैयार की गई तथा तीन सीडियों को सील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर उसको सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री नन्द भंवर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उम्मेद सिंह, जाति राजपूत, उम्र 53 साल निवासी 217/51 प्रताप नगर लोहाखान अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, नाका मदार पुलिस चौकी, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर में दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 144/2024 में प्रभावी कार्यवाही करने व मुकदमें में धारा जोडने की एवज में मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.06.2024 के अनुसार परिवादी से 50 हजार रूपये की मांग की जाकर उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 04.07.2024 को वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी से उक्त 50,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये पकडे़ जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री नन्द भंवर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उम्मेद सिंह, जाति राजपूत, उम्र 53 साल निवासी 217/51 प्रताप नगर लोहाखान अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, नाका मदार पुलिस चौकी, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है। (कविता यादव) पुलिस निरीक्षक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कविता यादव, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नन्द भंवर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उम्मेद सिंह, निवासी 217/51 प्रताप नगर लोहाखान अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, नाका मदार पुलिस चौकी, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 687 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर क्रमांक 693-96 दिनांक 6.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर। 5 उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KANCHAN BHATI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/07/2024 17:

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/09/1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)